[Prof. P.J. Kurien]

(iii) Telangana consists of ten districts of Andhra Pradesh, namely — Hyderabad, Rangareddy, Mahboobnagar, Medak, Nalgongda, Khammam, Warrangel, Karimnagar, Adilabad and Nizamabad and nine out of these ten districts are recognized by the Government of India as backward, despite availability of many natural resources, the benefits have failed to reach its people;

(iv) the experience of creation of smaller states has been good as it makes administration smoother and efficient coupled with higher development of the areas that have been neglected and from the people's perspective, this gives them more easy access to the Government and reduces disparity level between the developed and non-developed areas;

(v) there is merit in the demand for a separate state of Telangana as it serves the cause of geographical continuity, economic viability as well as administrative convenience; and

(vi) the Central Government had announced on 9th December, 2009 that the process of formation of separate State of Telangana has begun but now the Government is backtracking and has taken a complete U-turn on this promise, which has resulted in continuous agitation in the region;

This House urges upon the Government to create a separate State of Telangana with a separate Legislature, Executive and Judiciary in accordance with the Constitution of India."

The motion was negatived.

Need to review the meat Export Policy in the light of Constitution's Directive Principle of State Policy and Directions of the Supreme Court of India

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि:-

(i) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च, 2006 को दिए गए अपने निर्णय में भारत सरकार को संविधान के "राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के मद्देनजर मांस निर्यात नीति तथा पशुधन पर इसके संभावित हानिकारक प्रभावों और देश की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की समीक्षा करने के लिए" निदेश जारी किए थे;

(ii) 3 मई, 2007 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जिसमें तत्कालीन प्रवृत नीति को जारी रखने को दोहराया गया था और इस संबंध में उनकी दलीलों का मुख्य आधार रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा का अर्जन और तथाकथित अनुपयोगी पशुओं की संख्या में परिहार्य वृद्धि, इत्यादि को बनाया गया था;

(iii) मुख्य याचिकाकर्त्ताओं ने परम् श्रद्वेय जैन आचार्य विजय रतनसुंदरसुरी महाराज साहेब के नेतृत्व में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दस्तावेजों के साथ, जिसमें सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए 13 अध्याय थे, अपने तर्क प्रस्तुत किए जिसमें कहा गया कि मंत्रालय राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों तथा मांस निर्यात नीति के संभावित हानिकारक प्रभावों, दोनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं के मद्देनजर जरूरी समीक्षा करने मे असफल रहा है;

(iv) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 3.5.2007 के आपने कार्यालय ज्ञापन में मांस निर्यात नीति को चालू रखने के आदेशों को जारी करने से पूर्व विधि और न्याय मंत्रालय, कृषि मंत्रालय (पशु-पालन विभाग), खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि से परामर्श करने का दावा किया;

(v) याचिकाकर्त्ताओं ने सूचना का अधिकार के माध्यम से उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों से हुए पत्राचारों की प्रतियां प्राप्त करने ओर उनका गंभीर अध्ययन करने के बाद बताया कि ये सभी यंत्रवत् नेमी तौर पर दी जाने वाली सलाहें हैं जिनका महत्वपूर्ण मुद्दों से कोई लेनादेना प्रतीत नहीं होता है चूंकि इनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च, 2006 के अपने निर्णय में व्यक्त की गई चिंताओं तथा भारत सरकार को दिए निदेशों को पूर्णतया नजरंदाज किया गया;

(vi) याचिकाकर्त्ताओं ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रतिविरोध करते हुए इस बात पर जोर दिया कि देश के कुल मांस उत्पादन के 8% हिस्से का निर्यात करने मात्र के लिए सरकार मांस निर्यात नीति का पालन कर रही है जिसके परिणामस्वरूप बूचड़खानों में परिहार्य वृद्धि हो रही है;

(vii) निर्यात गुणवत्ता वाले मांस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण जवान और स्वस्थ जानवरों को मारा जाना आवश्यक हो गया है और इस प्रकार ऐसे जानवरों के मारे जाने का प्रतिषेध करने वाले राज्य सरकारों के स्थानिक कानूनों का खुला उल्लंघन किया गया है;

(viii) जानवरों के मारे जाने के कारण देश गोबर की उपलब्धता से वंचित हो रहा है और इस प्रकार सरकार के पास रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पुन: शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिससे स्वास्थ्य के प्रति खतरे उत्पन्न होने के अलावा मृदा की उर्वरता की क्षति हो रही है तथा खेत, जल, वायु और खाद्यान्न प्रदूषित हो रहे हैं;

(ix) याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी स्थिति की तथ्यपरक प्रस्तुति के माध्यम से अपने सुगठित तर्कों के साथ परिपुष्ट करते हुए उल्लेख किया कि एक भैंस से प्रतिवर्ष 5.4 टन गोबर प्राप्त होता है और आगामी पांच वर्षों में 5,61,000 मीट्रिक टन मांस निर्यात करने हेतु 51,00,000 भैंसों का वध करना पड़ेगा और इस पांच वर्ष की अवधि के दौरान 1377 लाख टन गोबर के परिवर्तन से 2754 लाख टन जैविक खाद का उत्पादन होगा जिसके फलस्वरूप 918 लाख एकड़ कृषि फसलों की खाद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी; और

(x) पशु-हत्याओं के परिणामस्वरूप उर्वरकों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के लिए राजसहायता पर भारी परिहार्य व्यय भी हुआ है क्योंकि भारत सरकार द्वारा करदाताओं के लगभग एक लाख करोड़ रुपये लगाकर राजसहायता जारी रखी जा रही है।

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि:-

(क) "मांस निर्यात नीति", जिससे कुछ लोगों की आर्थिक महत्वाकांक्षा का पोषण हो रहा है परन्तु विशेषकर हमारे युवा एवं स्वस्थ्य पशुओं के रूप में, राष्ट्रीय पशु धन की न पूरा की जा सकने वाली हानि की स्थिति पैदा हो रही है, को तत्काल समाप्त किया जाए;

(ख) निर्यात के प्रयोजनार्थ मांस के उत्पादन के लिए हो रही पशु हत्याओं के कारण उपयोगी पशुओं की भारी कमी, जो आवश्यक वस्तुओं की समग्र उपलब्धता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है और खाद्यान्नों, दूध, आदि की कीमतों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बन गई है, को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए;

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 51क के उपबंधों, जिसमें सभी जीवों के प्रति दया पर जोर दिया गया है, का सख्ती से अक्षरश: और मूल भावना के साथ अनुपालन किया जाए और चूंकि सरकार मौलिक कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए आदर्श अनुपालक है, इसलिए उसे मौलिक कर्त्तव्यों के उल्लंघनकर्त्ता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए;

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों के पशु संरक्षण कानूनों, जिनके द्वारा पशुओं की आयु एवं उपयोगिता के आधार पर पशु हत्या को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही, पशु हत्या के लिए पशुओं के अंतर्राज्य परिवहन को निषिद्ध किया गया है; के उल्लंघन को रोका जाए;

(ङ) मांस निर्यात के लिए गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर पहले से मौजू प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा मांस निर्यात नीति के जारी रहने के कारण मांस निर्यात के लिए भैसों की हत्या का आवरण रखते हुए व्यापक स्तर पर गुप्त रूप से बूचड़खाने खोले जा रहे हैं परंतु वास्तव में इनमें गाय और इसके बछड़ों की हत्याएं की जा रही हैं;

(च) 31 जुलाई, 2002 को प्रस्तुत किए गए विधि आयोग के 159वें प्रतिवेदन, राष्ट्रीय गोवंश आयोग के प्रतिवेदन तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, जिनके तहत मांस निर्यात पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है, को स्वीकार किया जाए;

(छ) समयबद्ध प्रतिवेदन के लिए स्पष्ट विचारार्थ विषयों के साथ एक कृतिक बल गठित किया जाए जिसमें कृषि तथा रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालयों, पशुपालन विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि हों, जो समग्र रूप से लागत लाभ विश्लेषण करते हुए इस संबंध में व्यावहारिक मूल्यांकन कर सके कि गोबर निर्मित खाद किस प्रकार से फसल के पैदावार स्तर को बढ़ाएगी और साथ ही साथ कृषि उपज, मृदा, वायु, जल, आदि के समग्र प्रदूषण को दूर करेगी जिसका कारण रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग करना रहा है तथा इसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 मार्च, 2006 के निर्णय में उठाई गई चिंताओं एवं दिए गए निर्देशों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की जाए"।

महोदय, इस संकल्प में मैंने सरकार से आग्रह किया है कि वह मांस निर्यात नीति के बारे में समीक्षा करे तथा शीघ्रातिशीघ्र इस पर प्रतिबंध लगाए।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा अनादि काल से मानव प्रकृति पर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में भी मानव, प्रकृति तथा जानवरों के सहअस्तित्व की परिकल्पना की गई है। किसी समय गाय को प्रमुख पशुधन के रूप में माना गया तथा गोधन के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी गईं। मशीनीकरण से पहले देश का किसान पशुओं पर ही निर्भर करता था। हल जोतने और सामान ढोने के लिए बैल, दूध, दही तथा अनेक दुग्ध उत्पादनों के लिए गाय और भैंस, खाद के लिए पशुओं का गोबर तथा खाना पकाने के लिए उपलों का प्रयोग आज भी गांवों में हो रहा है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन)** पीठासीन हुए]

महोदय, आज भी देश की सत्तर प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है तथा गांवों में पशु अभी भी कृषि की रीढ़ के रूप में काम करते हैं। इन परिस्थितियों में पशुओं का काटा जाना तथा उनके मांस का निर्यात करना हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ है तथा यह तुरंत बंद होना चाहिए। 29 मार्च, 2006 को एक जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह Directive Principles of State Policy को ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाए तथा मांस निर्यात नीति की समीक्षा करे। साथ ही पशुओं की संख्या पर तथा देश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाए। 3 मई, 2007 को वाणिज्य मंत्रालय ने एक ओ.एम. जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तथा इसे जारी करने के लिए रोज़गार, विदेशी मुद्रा तथा unproductive animals की तादाद बढ़ाने की बात कही गई है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, उनके बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉ मिनिस्ट्री को ठीक से नहीं समझाया, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उन आदेशों के मुताबिक क्या सचमुच उनका अध्ययन करके ऐसा किया गया है? इस संबंध में मैं मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार प्रदेश का ज़िक्र करना चाहता हूं जिसकी वजह से 'useful animal' और 'useless animal' का वर्गीकरण किया गया तथा पशुओं को काटने का काम मूलभूत अधिकार ती तरह पेश किया गया। इस मामले में जानवरों की तीन सेवाओं का जिक्र किया गया था। पहला — दूध देने का, दूसरा — बच्चे पैदा करने का तथा तीसरा — services in draught sector. इस तीसरी अवधारणा के तहत जानवरों को useless category में डालकर उन्हें काटना जारी रखा गया। यह perception अत्यंत भ्रमित करने वाला है क्योंकि दूध और बच्चे देने के अलावा जानवर हल जोतने, बोझा ढोने और गोबर देने के काम में भी आते हैं। इन्हें किसी भी स्तर पर useless नहीं कहा जा सकता।

इसके बारे में जैन आचार्य विजय रत्नसुंदर सूरी जी, प्रवीण जैन ट्रस्ट, श्री भुवन भानु सुरीश्वर जी जीवदया ट्रस्ट ने तथा विनियोग परिवार ट्रस्ट मुम्बई ने मंत्रालय को पुनः याचिका दी तथा बताया कि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को किस तरीके से अनदेखा कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लॉ मिनिस्ट्री से सलाह लेकर ओएम जारी किया है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री को सारी परिस्थितियों से अवगत नहीं कराया गया। इस संबंध में इन ट्रस्टों ने आरटीआई के अंतर्गत तमाम सूचनाएं इकट्ठी की हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी भी जांच की जाए कि क्या तथ्य है, लॉ मिनिस्ट्री ने क्या दिया था, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है और सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश थे?

सरकार का यह कहना है कि मांस निर्यात विदेशी पूंजी कमाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल मिथक है। यह स्रोत नहीं हो सकता है, यह मिथक है। भारत ने 2010-11 में 7 लाख मीट्रिक टन मांस का निर्यात किया, उसकी ऐक्ज़ेक्ट फिगर थी, 7.09 मीट्रिक टन। अगर एक भैंस से 110 किलो मांस मान लिया जाए तो 2010-11 में करीब 65 लाख भैंसों को काटा

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

गया। महोदय, एक भैंस से एक साल में 5.4 मीट्रिक टन गोबर मिलता है तथा इससे साल में 10.8 मीट्रिक टन खाद तैयार की जा सकती है। मैं सम्माननीय सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 65 लाख जानवरों को मारकर हमने लगभग 7.02 लाख मीट्रिक टन organic खाद का स्रोत समाप्त किया है। अगर एक टन organic खाद की कीमत 1 हजार रुपए मान ली जाए तो 7.02 करोड़ टन organic खाद की कीमत 7,020 करोड़ रुपए होगी। अगर जानवर पांच साल और जिंदा रहता है तो कुल organic खाद की कीमत 35 हजार करोड़ रुपए होगी। यह 35 हजार करोड़ रुपए हमने, जानवरों को काटकर 8,412 करोड़ रुपए मांस का निर्यात करके कमाने में गंवा दिए हैं। इस प्रकार एक ओर हमने हमारे पशुधन को भी गंवा दिया तथा दूसरी ओर जो organic manure मिलने वाली थी, उससे भी हम वंचित रह गए हैं। ऐसा करके 35 हजार करोड़ रुपए की जो खाद बिकने वाली थी, उससे हम वंचित रह गए हैं।

महोदय, जानवरों को मांस के निर्यात के लिए मारने से लगातार दुधारू तथा अन्य जानवरों की कमी होती जा रही है। 1992 में प्रति 1000 लोगों पर 241 जानवर थे, वहीं 2003 में यह संख्या 180 रह गयी है, 2007 में यह संख्या 157 बची और 2011 के आंकड़े आज तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी 1961 में Cattle Human Ratio 430 प्रति हजार था। यदि यही ट्रेंड रहा तो 2015 तक यह रेश्यो 20 cattle प्रति हजार व्यक्ति ही रह जाएगा। महोदय, यह चिंता करने वाली बात है। हालांकि बीफ एक्सपोर्ट के लिए नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। लेकिन मांस के निर्यात के सहारे गाय का मांस भी निर्यात किया जा रहा है। दुधारू पशुओं और गाय की संख्या पशुओं में कम हो रही है। इससे कम से कम यही साबित होता है कि जिस तरह के जानवरों की कटाई बैन की गई है, वे काटे जा रहे हैं और उनका मांस निर्यात को रहा है। देश में इस समय लगभग 3600 कानूनी slaughter houses हैं तथा करीब 25000 unregistered slaughter houses हैं और 30 के लगभग Mega Export-Oriented Slaughter Houses पिछले 15 सालों में निजी क्षेत्रों में खोले गये हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके तहत और slaughter houses खोलने के बारे में निर्णय किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यहां पर लगभग 3600 कानूनी slaughter houses बने हैं, तो ये अन-आथराइज्ड, unregistered 25000 के करीब slaughter houses कैसे काम कर रहे हैं? ये किसके इशारे पर और किस व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और सदन को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। यह नीति विदेश संस्कृति और सभ्यता पर आधारित नीति है। यहां जानवरों को कमोडिटी समझा जाता है, जहां जानवर से दूध निकालना और मांस के लिए पालना एक व्यवसाय है तथा जानवर का महत्व यहीं एक सीमित है। हमारे देश की संस्कृति अलग है। यहां गाय को मां के समान मानते हैं और पूजा जाता है। त्यौहारों पर गाय के गोबर से घर की लिपाई को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हम लोग जानवरों को घर का सदस्य मानते हैं। महाराष्ट्र में तो दीवाली के दूसरे रोज गाय, बैल और भैंस का श्रृंगार करके पूजा की जाती है। हम यह भी देख रहे हैं कि जब जानवर हल चलाने के लायक भी नहीं रहता है तथा गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उन्हें काटने के लिए नहीं बेचा जाता है। यह आज हमारी परम्परा है। तमाम आयुर्वेदिक दवाइयां गौ-मूत्र से बनती हैं। इन दवाइयों का बड़े पैमाने पर गांव में और शहरों में प्रचलन होता जा रहा है।

देश में आज पशुधन समाप्त होने के कगार पर है। इससे इस पर आधारित करोड़ों लोगों की जीविका पर असर पड़ेगा। एग्रीकल्चर के लिए छोटे किसान भी ट्रेक्टर पर निर्भर हो जायेंगे, जिससे

खेती और महंगी हो जायेगी। आज लकड़ी काटने पर पाबंदी है। जो लोग उपलों से खाना पकाते हैं, उनके लिए घटता पशुधन बहुत ही चिंता का विषय है। Article 48 में जानवरों के संरक्षण की बात कही गई है, लेकिन सरकार Mega Slaughter Houses बनाने जा रही है।

विदेशों में लोगों को अच्छे किस्म का मांस चाहिए, इसलिए यूज़लेस जानवरों और बूढ़े जानवरों को काटने और उनका मांस निर्यात करने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हम अपने देश में कहते हैं कि जो यूज़लेस जानवर हैं, unhealthy है, उनका मांस हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। मगर हम विदेशों की नीति को देखें, तो वहां पर इसके विपरीत यंग, हैल्दी जानवरों का मांस लोग चाहते हैं। अगर यह नीति है, तो फिर किस प्रकार से वहां पर मांस जा रहा है और किस प्रकार से वे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। इससे देश का ecological balance भी गड़बड़ा रहा है।

अभी एक्सपोर्ट सिर्फ निजी क्षेत्रों में है तथा लाभ कमाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों में जानवरों की चोरी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग किसानों के मवेशियों को चुराकर slaughter houses में पहुंचा देते हैं और वहां पर चोरी के मवेशियों का पता भी नहीं चलता। Ministry of Food Processing Industries निजी क्षेत्र में slaughter houses लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है तथा एक्सपोर्ट करने के लिए लगभग 13 तरह की सबसिडी भी दी जा रही है, लेकिन यही मंत्रालय आलू, प्याज या अन्य कृषि उत्पादनों पर इतना प्रोत्साहन दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इस पर आंदोलन भी हो रहे हैं कि आलू, प्याज खेतों में पड़ा है और सड़ रहा है। उसके रख-रखाव की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में ऐसा कोई मैकेनिजम है, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा animal useles है और उसको काटा जा सकता है। क्या देश में इस तरह की कोई मशीनरी है, जो इस बात की परीक्षा करती हो कि अमुक slaughter houses की कितनी capacity है और वहां कितने व किस प्रकार के जानवरों को काटा जा रहा है, कितना लोकल consumption है और कितना मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है? आज मीट के ऊंचे मापदंड तैयार किए जा रहे हैं, यहां तक कि अधिक से अधिक मीट के एक्सपोर्ट के लिए ऊंचे से ऊंचे मापदंड तय किए जा रहे हैं। यहां तक कि अधिक से अधिक मीट के एक्सपोर्ट के लिए सेंट्रल लेवल पर मीट बोर्ड का गठन किया गया है। क्या इस प्रकार के बोर्ड का गठन अन्य कृषि वस्तुओं के लिए भी किया गया है? यदि इस ओर ध्यान दिया जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस समय सेंट्रल लेवल पर कोई भी कानून नहीं है, जो यूजफुल एनिमल्स के बारे में मापदंड तय कर सके। अलग-अलग प्रदेशों के कानून अलग-अलग मापदंड तय करते हैं। मीट तैयार करने के बारे में देश और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनों में भिन्नता है। दूसरे देशों में कानून young और healthy जानवरों का मांस चाहते हैं, जबकि यहां का कानून इसे मना करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरने के लिए ये slaughter houses young और healthy जानवरों को मारते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड young और healthy जानवरों का निर्यात चाहता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारी पॉलिसी है, इसके विपरीत विदेशों में यहां से निर्यात किया गया माल कैसे एक्सेप्ट करते हैं? दक्षिण भारत में slaughter houses या जानवरों की कमी के कारण उत्तर भारत से जानवरों को मंगवाते हैं तथा हर slaughter house पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में समझता है। इस समय इस मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी की समीक्षा नहीं हुई है, ताकि इस बात का पता चल सके कि इस तरह की free meat policy से देश की अर्थव्यवस्था और कृषि को कितना नुकसान

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

हो रहा है। इस नीति की समीक्षा हो, यह बहुत ही आवश्यक है, ताकि पता चल सके कि इससे अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हो रहा है और कृषि क्षेत्र को कितना नुकसान हो रहा है।

शहरों में slaughter houses बनने के कारण, आज हवाई यात्रा भी असुरक्षित हो गई है। सन् 1980 में सलीम अली साहब ने कहा था कि हिंडन एयरबेस के निकट slaughter houses बनने से bird hit की संभावना बढ़ गई है। एयर फोर्स के दस ऐसे एयरबेस हैं, जहां आस-पास में slaughter houses बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता हे कि यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। 1997 में bird hit से एयर फोर्स के तीन प्लेन क्रैश हुए थे, यह बात हम सभी लोग जानते हैं। इसकी वजह से हिंडन एयर फोर्स के एयरबेस को हटा दिया गया था, जब कि वहां से slaughter houses को नहीं हटाया गया। आप जानते हैं कि इसी पार्लियामेंट के ऊपर जब terrorist attack हुआ था और उसके चलते सरकार को कई वर्षों के बाद यह महसूस हुआ कि हमारी सुरक्षा के लिए अम्बाला और सिरसा से दिल्ली दूर है और उनको इतनी जल्दी रसद नहीं मिल सकती है, तो उसने फिर से निर्णय लिया कि जो हिंडन का एयरबेस है, उसको फिर से शुरू किया जाए। सरकार ने slaughter houses को हटाने के बजाए एयरबेस को हटाया। यह कितनी गंभीर बात है। 1991 में जब यह पॉलिसी बनी थी, तब फॉरेन एक्सचेंज की हालत बहुत ही नाजुक थी, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। हमारे पास इस समय फॉरेन एक्सचेंज, 300 बिलियन डॉलर से अधिक है, ऐसा अनुमान है। हमें मीट एक्सपोर्ट से 0.30 per cent ही विदेशी मुद्रा मिलती है। मीट पॉलिसी के बारे में लोगों में बहुत ही resentment है। इस पॉलिसी से हमारे किसानों, कृषि और जानवरों की कीमत पर दूसरे देशों का भला हो रहा है तथा young और healthy जानवरों को काटा जा रहा है। उपयोगी जानवरों की कमी से देश में आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और अनाज की कमी, सब्जियों की कमी, फलों की कमी, ताजा दूध और शुद्ध घी की कमी होने लगी है। अब गांवों से ही दूध यूरिया मिला कर आने लगा है। बच्चों की किडनी पर इसका असर हो रहा है और उनकी किडनी खराब हो रही है। जिन घरों में गायें और भैंसें नहीं हैं, वे भी दूध बेच रहे हैं। नकली देशी घी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। नकली खोवा और पनीर ट्रकों से शहरों में आ रहा है और यही मिष्टान्न हम सभी त्योहारों में खा रहे हैं।

भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के बाद विश्व में अहिंसा का आंदोलन गांधी जी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से पहुंचाया। गांधी जी ने कहा है कि किसी देश की प्रगति और नैतिक प्रगति इस बात से पता चलती है कि वह अपने देश में जानवरों को किस प्रकार से रखता है और उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। मैं समझता हूं कि जानवर जितना असहाय है, उसकी उतनी ही ज्यादा मानवीय सहायता की जरूरत है तथा जानवरों को मानवीय क्रूरता से बचाने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि spiritual progress हमसे अपेक्षा करती है कि हम जानवरों को अपनी शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए मारना छोड़ें। मैं किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर पर माँसाहार को आवश्यक नहीं मानता। यह मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किन्तु जानवरों को भी जिन्दगी जीने का हक है। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मैं एक बकरी की जिन्दगी उतनी ही कीमती मानता हूं, जितनी एक मनुष्य की। गांधी जी ने 20 नवम्बर, 1931 को लंदन वेजीटेरियन सोसायटी के सामने एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अपने लालच के लिए किसी जानवर की जान लेना बहुत ही असभ्यता का प्रतीक है। उस समय इस कांफ्रेंस की अध्यक्षता ईटन कॉलेज में असिस्टेंट मास्टर सर हेनरी सॉल्ट, जो ह्यूमेनिटेरियन लीग के सेक्रेटरी थे, कर रहे थे। सर हेनरी

सॉल्ट 50 साल वेजीटेरियन रहे। जब गांधी जी ने स्पीच दी थी, उस समय सॉल्ट की उम्र 80 साल के ऊपर थी। उनकी किताब 'Seventy Years Among Savages' आँख खोल देने वाली किताब है।

आज मानव इतना निर्दयी हो गया है कि अहिंसा की बात छोड़ दीजिए, उसके दैनिक व्यवहार में हिंसा, क्रूरता, असहिष्णुता और बदले की भावना नज़र आती है। अगर हम जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन की शैली को देखें, तो जिस प्रकार वे लोग उनको ट्रकों के अंदर टू टायर में भर कर ले जाते हैं, वह कितना क्रूर नज़र आता है। अगर वे उसके अन्दर फिट नहीं होते हैं, तो कई जगह यह पाया गया कि उनके पैर काट दिए जाते हैं, गायों और बैलों की टाँगें काट दी जाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में भरा जा सके। यह कितनी बड़ी क्रूरता है। इसे कई बार पेटा के लोगों ने पकड़ा है और नागपुर के पास पुलिस को दिया है।

मांस हमारी नेचुरल डायट नहीं है। गाय और बैल भी शाकाहारी हैं। इन्हें विदेशों में अधिक मांस की लालच में इन्हीं का मांस खिलाया जाता है। मुर्गी, जो दाना चुगती है, उसे मांस के टुकड़े दिए जाते हैं। यदि हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो प्रकृति भी अपने ढंग से हमसे बदला लेगी। यही वजह है कि आज हम एचआईवी, एड्स, मैड काऊ डिजीज़, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज दूसरे देशों में वेजीटेरियनिज्म एक आंदोलन का रूप ले चुका है, लेकिन हमारा देश, जिसने विश्व को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, वहां से जानवरों को काट कर मांस का व्यापार किया जा रहा है। यहां हमारे मित्र, बीजेपी के नेता श्रीमान रवि शंकर प्रसाद जी बैठे हुए हैं। मैं उनको और अन्य नेताओं को यह बात बताना चाहूंगा कि ये गौ, गंगा, गायत्री और गीता की बात करते हैं, लेकिन इनके द्वारा शासित राज्यों में भी मांस निर्यात हो रहा है, जिस पर रोक की जरूरत है। हमारी सरकार सभी की धार्मिक आस्था का ख्याल रखती है। यह हमारी आस्था का सवाल भी है। आन्ध्र प्रदेश के विदर्भ में हजारों किसानों ने आत्महत्या की...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : आपने अभी मेरा नाम लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा की प्रदेश सरकारों ने गौ-हत्या को बन्द करने के लिए कानून का प्रस्ताव किया है...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : मैं वहीं कह रहा हूं कि प्रस्ताव करने के बावजूद भी उन राज्यों के अंदर गौएं काटी गई हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा) : इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, इस देश के अंदर पहले भी यह प्रतिबंधित था और आज भी प्रतिबंधित है। इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसलिए राज्य सरकारें अलग से इसे करें, यह कोई माइने नहीं रखता। आज जो नीति है, उसको पहले के संदर्भ में और भी अधिक पुख्ता किया गया है। एनडीए प्रशासन के समय जो नीति थी, उस नीति को यूपीए की सरकार ने 2004 और 2011 में और भी ज्यादा सख्त किया है। 2004 से पहले जो नीति थी, वह बड़ी लचीली थी, आपके उस समय के कार्यकाल में वह लागू नहीं हो रही थी। इसलिए यह कहना कि भाजपा की राज्य सरकारों ने कोई प्रोहिबिशन किया है, कोई बैन लगाया है, यह गलत है। राष्ट्र की सरकार, केन्द्रीय सरकार और हमारा कानून इसकी अनुमति नहीं देता। जब इस पर चर्चा होगी, उसके उत्तर में मैं सदन को इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि 2004 के अंदर केन्द्र की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए। पिछले साल 2011 में इसके लिए प्रभारी कदम भी उठाए गए, ताकि जो गौ-हत्या और बीफ एक्सपोर्ट पर देश के अंदर पूरा प्रतिबंध है, उसका उल्लंघन न हो सके...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा हूं, चूंकि उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया, लेकिन यह बहुत लम्बी बहस है। मैं मानता हूं कि इनकी सरकार 60 के दशक में कानून लाई थी, लेकिन उस कानून को लेकर इतनी परेशानी हुई कि वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जब इनकी मध्य प्रदेश की एक सरकार ने अमेंडमेंट किया था, उस समय की सरकार ने क्या स्टैंड लिया था, ये सब बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आपके जैसा वरिष्ठ मंत्री इतना sweeping allegation लगा दे, क्षमा करिए, यह उचित नहीं है। जब आप अपना उत्तर दीजिएगा, तब आपके साथ अच्छी बहस करने को मैं तैयार हूं, लेकिन आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी जो आप यह कहें कि एनडीए ने कुछ काम नहीं किया। क्षमा करें, यह उचित नहीं है। हमारी सरकार गौ-हत्या के बारे में प्रमाणिक थी, प्रमाणिक है और हमेशा प्रमाणिक रहेगी।...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : मैं इस बात को बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 1998 और 2004 के बीच में इस सदन के पास, इस देश के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के एनडीए शासन में...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : मेरा उत्तर बीजेपी प्रशासित प्रदेशों के बारे में था, लेकिन आपने कहा कि एनडीए ने कुछ नहीं किया था...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : जी, नहीं, यह केन्द्र सरकार की नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार की नीति...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं मानता हूं कि 1960 के दशक में नेहरू जी की सरकार के समय में एक कानून लाया गया था। मैं उस कानून के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट से उस पर 2 बार लिटिगेशन हुआ है, इस बात को भी मैं जानता हूं और एमपी सरकार ने क्या-क्या...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: No, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: You are not yielding, but you made a sweeping allegation that ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: I have not made any allegation. I responded to what was said. ...*(Interruptions)*... I have not made any allegation. ...*(Interruptions)*... I am quoting the records correct that there was no deviation from the policy which was pursued earlier...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Minister, please try to understand my point. Mr. Darda made a point only about the BJP State Governments. ...*(Interruptions)*... You said that we did not do anything. ...*(Interruptions)*... Is it fair on your part?

SHRI ANAND SHARMA: The Chair can take a view. When the debate is there, I will respond. The State Government has primarily the responsibility because the abattoirs, municipal and other abattoirs, are entirely under the control of the State Governments. It is immaterial which political party is in power in a particular State.

That is an administrative issue. It is not the Central Government which controls the municipal abattoirs or the district abattoirs. If the BJP Governments have woken up, good luck. But the fact is, why this issue needs to be politicized in an emotive manner for six years. I am stating it with clarity. The same policy which existed prior to the formation of BJP-led NDA Government, throughout for six years, was continued, without any dilution. Only the Congress-led UPA Government in 2004 made stringent provisions not allowing ...*(Interruptions)*... No. We have done it. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr. Minister, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: I am on record. ...*(Interruptions)*... I will place it...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Sir, you will have the opportunity to reply...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: What I am saying is...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: This is not fair. ...*(Interruptions)*... I was just responding to what ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Let him finish and then you can reply...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I just responded to what Dardaji said. That is all. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: I won't allow this to go unchallenged because I don't want the country to get this wrong impression that the present Government is permitting slaughter of cows. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Who said that? Did I say that? I must clarify that. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: You withdraw...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Dardaji mentioned...*(Interruptions)*.... I stood upto say...*(Interruptions)*... That's all.

SHRI ANAND SHARMA: I am putting the record straight. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: You are a senior responsible Minister.

SHRI ANAND SHARMA: Yes.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Wait for the reply.

SHRI ANAND SHARMA: Yes, I will give the reply and let the country also hear it.

5.00 P.M.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: सर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं, कि बी.जे.पी. शासित राज्यों के अंदर इस नीति के बारे में मैं जो बात कह रहा था, उस पर उन्होंने मुझे अधिक जानकारी दी और सदन को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस समय क्या परिस्थितियां थीं और किस प्रकार से इस नीति की तरफ देखा जाता था। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज भी बंगाल के अंदर गायों को काटा जाता है, ऐसी जानकारी है। अगर ऐसा है, तो यह बहुत ही सीरियस बात है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

विदर्भ और आंध्र प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। इसका कारण यह रहा है कि उनकी फसल नष्ट हो गई और उन पर काफी लोन हो गया। अगर इन किसानों के पास गाय, भैंस आदि रहे होते, तो इनके पास जीविका का साधन होता तथा इन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत सरकार ने भी किसानों को मदद करने की दृष्टि से, किसानों के आंसू पोंछने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, उसमें भी यह कहा गया है और जब राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां किसानों को गाय, भैंस आदि दें, ताकि उनकी जीविका का साधन हो सके। ऐसे अनेक राज्य हैं, जहां स्टडी किया गया है और उसमें यह पाया गया है कि जहां-जहां पर किसानों के पास कोई जानवर है, गाय, भैंस वगैरह हैं, उनकी हालत बेहतर है।

सर, एक गम्भीर मुद्दा यह है कि आज जिस प्रकार से इस मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी की तरफ देखा जा रहा है, यहां पर बहुत से अनऑथोराइज्ड स्लॉटर हाउसेज़ चल रहे हैं। क्या इनको लेकर विभिन्न राज्य सरकारें कुछ कर रही है? यह कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ हो रहा है या नहीं। रास्ते पर बैठ कर मांस की बिक्री हो रही है। क्या यह हमारी पॉलिसी में है? यह हमारी पॉलिसी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यह क्यों हो रहा है? मैं यह चाहूंगा कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। अगर उन किसानों के पास गाय और भैंस होतीं तथा उनके पास जीविका का साधन होगा, तो आज सरकार उनकी आत्महत्या रोक सकती थी। मैं एक बार पुन: यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी कृषि की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, फूड सिक्युरिटी के लिए, इन्वायरनमेंट के लिए और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए जानवरों की हत्या बन्द होनी चाहिए।

माननीय महोदय, मैं आपका ह्रदय से आभारी हूं कि..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): How much more time will you take?

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: A few seconds more.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly conclude. Only two more minutes are left.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : मैं माननीय मंत्री जी को ह्रदय से धन्यवाद देता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए वे यहां पर आए। वे हर विषय के बारे में हमेशा ही गंभीर रहे हैं। उनके मन में जो सम्वेदनशीलता है, उनकी जो सोच है, उसको देखते हुए मुझे विश्वास है कि सिकानों, एनवायरमेंट, पशुधन और फूउ सिक्योरिटी आदि बातों को ध्यान में रखते हुए और सब लोगों की भावनाओं तथा हमारी संस्कृति का आदर करते हुए वे मॉस निर्यात नीति के बारे में निश्चित रूप से फिर से विचार

करेंगे। ऐसी अपेक्षा करते हुए, मेरे द्वारा यहां पर जो रिज़ॉल्यूशन लाया गया और आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Ajay Sancheti. Let him just start.

श्री अजय संचेती (महाराष्ट्र) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्पीच देने से पहले मुझे निर्देश दिया गया कि अभी आप मेडन स्पीच मत दीजिए, अगली बार दीजिएगा, तो this is going to be my maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay, you can continue on the next listed date.

SPECIAL MENTIONS — *contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Special Mentions which are to be read. I am just calling the names. Shri Mandaviya, not present. Shri Ambeth Rajan, not present. Shri Parshottam, not present. Shri Y.S. Chowdary, not present. Then, Shri Arvind Kumar Singh.

Demand for early conduct of elections to the Students Union in Kashi Hindu University in Uttar Pradesh

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, विगत 13 सालों से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, तब से वहाँ भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र संघ छात्रों का लोकतांत्रिक मंच है, जहाँ से छात्र हित की लड़ाई लड़ी जाती है। छात्र संघ अच्छे नेताओं की अच्छी नर्सरी है। दोनों सदनों के कई सदस्य ऐसे हैं, जो छात्र संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं। जब से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, तब से राजनीति में भू-माफियाओं तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है, जो संवैधानिक व्यवस्था के लिए चिन्ता का विषय है। ऐसी स्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से छात्र संघों के चुनाव कराए जाएं, यह मेरी सदन के माध्यम से मांग है।

मान्यवर, गत वर्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के आधार पर हुआ था, जबकि लिंगदोह कमेटी की सिफारिश छात्र संघों को जड़ से समाप्त करने की साजिश है। लिंगदोह कमेटी के अनुसार, छात्र संघ का चुनाव वही लड़ेगा, जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक न हो, जो कि गलत है। होना यह चाहिए कि जो विश्वविद्यालय का संस्थागत छात्र है, वह चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी उम्र जितनी भी हो।

मान्यवर, विधान सभा और लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, विधान परिषद् और राज्य सभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक